रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97 REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 333] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 5, 1997/ज्येष्ठ 15, 1919
No. 333] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 1997/JYAISTHA 15, 1919

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 1997

का. आ. 427 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ छत्तीसवां संशोधन) नियम, 1997 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 की, —

(1) प्रथम अनुसूची में—

(क) "4. नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय" शीर्षक और उसके अधीन उप-शीर्षकों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक रखे जाएंगे, अर्थात् :

"4. खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय

(i) उपभोक्ता मामले विभाग

(ii) खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग

(iii) शर्करा और खाद्य तेल विभाग";

(ख) शीर्षक "12 खाद्य मंत्रालय" उसके अधीन उप-शीर्षकों का लोप किया जाएगा;

(2) द्वितीय अनुसूची में,—

(क) "नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय" शीर्षक और उसके अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर

निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :

"खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय"

क. खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग

1. खाद्य से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों और अन्य निकायों अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद्, विश्व खाद्य परिषद्, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, खाद्य सुरक्षा संबंधी आयोग/समितियों में भाग लेना और उनमें लिए गए विनिश्चयों को कार्यान्वित करना।
2. विदेशों से संधि और करार करना और खाद्यान्नों तथा अन्य खाद्य पदार्थों में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में विदेशों से की गई संधियों, करारों और अभिसमयों को कार्यान्वित करना।
3. खाद्यान्नों जिसमें शर्करा भी है, के भण्डारण के लिए गोदामों को भाड़े पर लेना और अर्जित करना तथा खाद्यान्न गोदामों के निर्माण के लिए भूमि को पट्टे पर लेना या अर्जित करना।
4. इस विभाग के अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों से संबंधित मामले।
5. भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम से संबंधित मामले।
6. इस विभाग को आबंटित विषयों से संबंधित विधियों में से किसी के विरुद्ध अपराध।
7. इस विभाग को आबंटित विषयों में से किसी के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े।
8. इस विभाग को आबंटित विषयों में से किसी की बाबत फीसें, उन फीसों के सिवाय जो न्यायालय में ली जाती हैं।
9. नागरिक आवश्यकताओं के लिए खाद्य पदार्थों तथा सेना के लिए शर्करा, चावल और गेहूं का क्रय और वितरण।
10. खाद्यान्नों और अन्य खाद्य पदार्थों के संबंध में अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य।
11. खाद्यान्नों का व्यापार और वाणिज्य तथा पूर्ति और वितरण।
12. खाद्यान्नों से भिन्न, खाद्य पदार्थों का व्यापार और वाणिज्य तथा उत्पादन, पूर्ति तथा उत्पादन, पूर्ति और वितरण।
13. खाद्यान्नों और खाद्य पदार्थों का कीमत नियंत्रण।
14. भारतीय खाद्य निगम से संबंधित मामले।
15. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
16. जहां तक खाद्यान्नों का संबंध है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980।
17. इस विभाग को आबंटित विषय में से किसी के संबंध में विधियों के विरुद्ध अपराध।
18. इस विभाग को आबंटित किसी भी विषय के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े।

ख. उपभोक्ता मामले विभाग

1. आंतरिक व्यापार।
2. अंतर्राज्यिक व्यापार : स्पिरिटयुक्त निर्मिति (अंतर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955 (1955 का 39)।
3. वायदा बाजार का नियंत्रण : अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74)।
4. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) ऐसी आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय, कीमतें और वितरण जो किसी अन्य मंत्रालय/विभाग द्वारा विनिर्दिष्टत: से व्यवहृत नहीं है।
5. चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का 7) उसके अधीन निरोध के अध्यधीन व्यक्ति।
6. पैक की हुई वस्तुओं का विनियमन।
7. कानूनी माप विधा में प्रशिक्षण।
8. संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1952 (1952 का 12)।
9. बाट और माप मानक। बाट और माप-मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60)।
10. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63)।
11. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन जिसमें वायदा बाजार आयोग, मुम्बई भी है।
12. उपभोक्ता सहकारी समितियां।
13. आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का परिवीक्षण और उपलब्धता।

14. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68)।

ग. शर्करा और खाद्य तेल विभाग

1. वे उद्योग जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, जहां तक उनका संबंध वनस्पति घी, तिलहन, वनस्पति तेलों, खली और वसा से है।
2. वनस्पति, तिलहन, वनस्पति तेलों, खली और वसा का कीमत नियंत्रण और अंतर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य और पूर्ति और वितरण।
3. वनस्पति, खाद्य तेल और वसा निदेशालय।
4. वे उद्योग जिनके लिए संसद ने विधि के द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोक हित में समीचीन है जहां तक उनका संबंध शर्करा उद्योग (जिनमें चीनी खांडसारी भी है) से है।
5. शर्करा के संबंध में अंतर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य।
6. शर्करा निदेशालय, नई दिल्ली।
7. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर।
8. राष्ट्रीय शर्करा और गन्ना प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ।
9. शर्करा उद्योग विकास परिषद्, नई दिल्ली से संबंधित मामले।
10. अंतर्राष्ट्रीय शर्करा परिषद।
11. शर्करा विकास निधि।
12. शर्करा का व्यापार और वाणिज्य और उत्पादन, पूर्ति तथा वितरण।
13. शर्करा का मूल्य नियंत्रण";

(ख) "खाद्य मंत्रालय" शीर्षक और उसके अंतर्गत उप-शीर्षकों और इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

शंकर दयाल शर्मा
राष्ट्रपति

[फाइल सं. 1/22/1/97-मंत्रि.]
एस. के. मिश्र, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 1997

S.O. 427 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two Hundred and Thirty Sixth Amendment) Rules, 1997.
   (2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—
   (1) in the First Schedule—
      (a) for the heading "4. Ministry of Civil Supplies Consumer Affairs & Public Distribution (Nagarik Poorti aur Sarvajanik Vitaran Mantralaya)" and the sub-headings thereunder, the following heading and sub-headings shall be substituted, namely :—
      "4. Ministry of Food and Consumer Affairs (Khadya aur Upbhokta Mamle Mantralaya)
      (i) Department of Consumer Affairs (Upbhokta Mamle Vibhag)
      (ii) Department of Food and Civil Supplies (Khadya aur Nagarik Poorti Vibhag)
      (iii) Department of Sugar and Edible Oils (Sarkara aur Khadya Tel Vibhag)";

(b) the heading "12. Ministry of Food (Khadya Mantralaya)" and sub-headings thereunder shall be omitted.

(2) in the Second Schedule—

(a) for the heading "MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (NAGARIK POORTI, UPBHOKTA MAMLE AUR SARVAJANIK VITARAN MANTRALAYA)" and entries thereunder, the following heading and entries shall be substituted, namely :—

"MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (KHADYA AUR UPBHOKTA MAMLE MANTRALAYA)"

A. DEPARTMENT OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (KHADYA AUR NAGARIK POORTI VIBHAG)

1. Participation in international conferences, Associations and other bodies concerning food, i.e. International Wheat Council, World Food Council, International Food Policy Research Institute, Commission/Committee on Food Security and implementation of decisions made thereat.
2. Entering into treaties and agreements with foreign countries and implementing treaties, agreements, conventions with foreign countries relating to trade and commerce in foodgrains and other foodstuffs.
3. Hiring and acquisition of godowns for storage of foodgrains including sugar, taking on lease or acquiring land for construction of foodgrains godowns.
4. Matters relating to subordinate and attached offices under this Department.
5. Matters relating to the Food Corporation of India and the Central Warehousing Corporation.
6. Offences against laws with respect to any of the subjects allotted to this Department.
7. Enquiries and Statistics for the purpose of any of the subjects allotted to this Department.
8. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Department except fees taken in a court.
9. Purchase of foodstuffs for civil requirements and their disposal and also for military requirements of sugar, rice and wheat.
10. Inter-State trade and commerce in respect of foodgrains and other foodstuffs.
11. Trade and commerce in, and supply and distribution of foodgrains.
12. Trade and commerce in, and the production, supply and distribution of foodstuffs other than foodgrains.
13. Price control of foodgrains and foodstuffs.
14. Matters relating to the Food Corporation of India.
15. Public Distribution System.
16. Essential Commodities Act, 1955 and Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980, in so far as foodgrains are concerned.
17. Offences against laws with respect to any of the subject allotted to this Department.
18. Enquiries and Statistics for the purpose of any subject allotted to this Department.

B. DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS (UPBHOKTA MAMLE VIBHAG)

1. Internal Trade.
2. Inter-State Trade : the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955 (39 of 1955).
3. Control of Future Trading : the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952).
4. The Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) (Supply, Price and Distribution of Essential Commodities not dealt with specifically by any other Ministry/Department).
5. Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities, 1980 (7 of 1980) persons subjected to detention thereunder.
6. Regulation of Packaged Commodities.
7. Training in Legal Meterology.
8. Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1952 (12 of 1952).
9. Standards of Weights & Measures. The Standards of Weight & Measures Act, 1976 (60 of 1976).
10. The Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).
11. All attached or subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list, including the Forward Markets Commission, Bombay.

12. Consumer Cooperatives.
13. Monitoring of prices and availability of essential commodities.
14. The Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986).

C. DEPARTMENT OF SUGAR AND EDIBLE OILS (SARKARA AUR KHADYA TEL VIBHAG)

1. Industries the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest, as far as these relate to Vanaspati, Oilseeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.
2. Price Control of and inter-state trade and commerce in and supply and distribution of Vanaspati, Oilseeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.
3. Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats.
4. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest, as far as these relates to Sugar Industry (including development of Sugar Khandsari).
5. Inter-state Trade and Commerce in respect of Sugar.
6. Directorate of Sugar, New Delhi.
7. National Sugar Institute, Kanpur.
8. National Institute of Sugar and Sugarcane Technology, Mau.
9. Matters relating to the Development Council of Sugar Industry, New Delhi.
10. International Sugar Council.
11. Sugar Development Fund.
12. Trade and Commerce in, and the production, supply and distribution of sugar.
13. Price Control of Sugar.";

(b) the heading "MINISTRY OF FOOD (KHADYA MANTRALAYA)" and the sub-headings thereunder and entries relating to shall be omitted.

SHANKER DAYAL SHARMA
PRESIDENT

[File No. 1/22/1/97-Cab.]
S. K. MISRA, Jt. Secy.

1398 GI/97 - 2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997